

[श्री मानुप्रताप सिंह]

उन नेहूँ खरीदना पड़ेगा अगर वे प्रतिष्ठा पर न चढ़े रहें तो भारत ऐसी स्थिति में है कि इनको दो मिलियन उन नेहूँ दे सकता है। क्या आपको यह अन्तर नहीं दिखाई देता है? दोनों मिलकुल पञ्चमीन के हैं और जलवायु एक है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि वैज्ञानिक कार्यों का मूल्यांकन राजनीतिक या व्यक्तिगत आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। मैंने एक बयान दिया था जिस पर आपत्ति की गई, कहा गया कि मंत्री जी क्यों इसमें धाये। मैं कहना चाहता हूँ जहाँ मलियों का कर्तव्य है कि उनके विभाग में जो बलत काम करते हैं उनको सजा दें वहाँ यह भी उनका कर्तव्य है कि अगर उन पर अनचित आक्रमण होता है, उनके नीचे के काम करने वालों पर तो उसकी भी सफाई दें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You will have to wind up because at 3-30 we have the non-official business. (Interruptions). There is no clarification needed. At 3.30, we are starting the non-official business. Either the Minister winds up, or I wind up the debate now, and we carry on with the non-official business.

श्री मानुप्रताप सिंह : हम लोग किसानों का भला करना चाहते हैं। मैं यह भी चाहता हूँ कि इसको दलगत राजनीति या उत्तर तथा दक्षिण के हितों की दृष्टि से न देखा जाये। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ हर प्रकार के सुझावों का स्वागत होगा। हमारा उद्देश्य है कि इस देश के किसानों की दशा सुधरे और साथ ही हमारा उत्पादन भी बढ़े। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई भी सुझाव किसी भी स्थान से, किसी भी दल के माननीय सदस्य से धार्येगा, उसका स्वागत किया जायेगा।

15.30 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS**SEVENTEENTH REPORT**

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now go on to the Private Members' Business. **Shri Devendra Satpathy.**

SHRI DEVENDRA SATPATHY (Dhenkana): I beg to move:

"That this House do agree with the Seventeenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 18th April 1973."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is.

"That this House do agree with the Seventeenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 18th April, 1973."

The motion was adopted.

HOMOEOPATHY CENTRAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of section 2)

श्री बख्तराब शास्त्र (फर्रुखाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्चापित करने की अनुमति दी जाय।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Homoeopathy Central Council Act, 1973"

The motion was adopted.

श्री बख्तराब शास्त्र : मैं विधेयक को पुरस्चापित करता हूँ।